पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस–विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 10 एवं एन0बी0डब्ल्यू0 में 03 अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक–19–03–2023

दिनांक 18/19–03–2023 को रात्रि थाना कैण्ट 02, थाना हसनगंज 02, थाना पारा 01, थाना निगोहां 04, थाना ठाकुरगंज 01 एवं एन0बी0डब्ल्यू0 में थाना इटौंजा 03 अभियुक्त गिरफ्तार, इस प्रकार वांछित में कुल 10 एवं एन0बी0डब्ल्यू0 में 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0

थाना बिजनौर–दिनांक 19.03.2023 को थाना बिजनौर द्वारा बताया गया कि वादी श्री मयंक वर्मा पुत्र अवधेश कुमार निवासी–वैभव नगर थाना बिजनौर लखनऊ द्वारा थाना बिजनौर पर सूचना दी गई कि वादी सपरिवार होली का त्योहार करने अपने गांव गया था। दिनांक 18.03.2023 को वादी जब अपने लखनऊ स्थित अपने घर पर वापस आये तो देखा कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी के घर में रखे सोने चांदी के कीमती जेवरात, एक टीवी सैमसंग कम्पनी, एक लैपटॉप लेनोवा कम्पनी, 25,000/–रूपये नगदी व अन्य सामान को चोरी कर लिया गया है। **इस सूचना पर थाना बिजनौर पर मुकदमा अपराध संख्या 62/2023 धारा 380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।**

थाना विकासनगर–दिनांक 19.03.2023 को थाना विकासनगर द्वारा बताया गया कि वादी श्री धर्मराज गुप्ता पुत्र स्वर्गीय श्री सी0एल0 गुप्ता निवासी 3/147 विकास नगर लखनऊ द्वारा थाना विकासनगर पर सूचना दी गई कि दिनांक 16.03.2023 को वादी का पावर हाउस का विद्युत बिल 1392/– रुपए बकाया था जिसे प्रार्थी ने 14.03.2023 को पूर्णरूप से जमा कर दिया था। दिनांक 16.03.2023 को रात्रि 9.00 बजे वादी को फोन पर मैसेज प्राप्त हुआ कि आपका विद्युत विच्छेदन कर दिया जाएगा इसके बाद फोन पर दीपक शर्मा जिसने अपने आप को पावर कारपोरेशन का अधिकारी बताया। उक्त व्यक्ति से बातचीत के दौरान वादी ने अपना विद्युत बिल बकाया का पूर्ण भुगतान करने की बात बताई तब भी उक्त व्यक्ति ने धमकी देकर कनेक्शन काटने की ही बात करता रहा। धोखाधड़ी करने वाले ने उक्त व्यक्ति द्वारा बताया गया कि कि जो धनराशि आपने जमा किया है वह अभी आपके खाते में जमा नहीं है यदि आप चाहे तो पैसे जमा हो जायेगा और आप को बिजली का कनेक्शन नहीं कटेगा। इसके बाद धोखाधड़ी करने वाले ने वादी की मोबाइल में एनीडेस्क एप डाउनलोड कराया और वादी का मोबाइल को पूरी तरह से हैक कर लिया और वादी को लगातार बातों में उलझाये रखा। वादी को तब पता चला जब वादी बचत खाते से 49500/–रूपये निकाल लिये गये। वादी द्वारा प्रतिरोध करने पर उक्त धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति द्वारा पैसा वापस करने की बात कही गयी और लिंक भेज कर क्रमशः 49,900/–रूपये, 49,900/–रूपये, 49,900/–रूपये, 49,900/–रूपये **(कुल धनराशि 2,49,100/–रूपये)** वादी के भारतीय स्टेट बैंक शाखा महानगर के बचत खाते से निकाल लिया गया। **इस सूचना पर थाना विकासनगर पर मु0अ0सं0 57/2023 धारा 420 भादवि व 66डी आईटी एक्ट का अभियोग बनाम दीपक शर्मा कथित पावर कारपोरेशन अधिकारी के विरूद्ध पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**